

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर**

पीवस्थीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 82/2022

राजस्व वाद :- अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम

1. हरिचम पुत्र मानाराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
2. श्रीराम पुत्र मानाराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर  
वादी.....

**बनाम**

- 01 गोपूराम पुत्र ढणुताराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- 02 छोटूराम पुत्र लाधूराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- 03 बंशीलाल पुत्र लाधूराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- 04 रामरखराम पुत्र लाधूराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- 05 सूरजाराम पुत्र लाधूराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- 06 सुरतीदेवी पत्नि लाधूराम जाति विड़नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- 07 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

**प्रतिवादीगण.....**

**उपस्थित :-**

1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादीगण

**निर्णय**

दिनांक:- 29.05.2023

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान कायदाकारी अधिनियम का इस आशय से पेडा किया कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खरखरा नम्बर 1879/2692 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त आतेदारी अधिकारों की भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादगस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है इसी अनुसार कब्जा कायदा रखा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने उक्त वादगस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खरखरा नम्बर 1879/2692 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक उक्ति जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा

**डा. राम**  
सहायक कलक्टर  
बाप (जोधपुर)

विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बट्टस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बट्टस सुनी गई अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बट्टस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई ऊजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक ठिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बट्टस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक ठिकी तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

#### क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 1879/2692 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य निम्नसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

| क्र. सं. | पक्षकारण का नाम  | ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | रकबा/हैक्टेयर      | किस्म |
|----------|--|--------------|------------|--------------------|-------|
| 1        | हरिराम पुत्र मानाराम जाति विड़नोई सा.पीलवा खरातेदार  | बाप          | 1879/2692  | 0.0809<br>हैक्टेयर | बा-1  |
| 2        | श्रीराम पुत्र मानाराम जाति विड़नोई निवासी पीलवा खरातेदार   | बाप          | 1879/2692  | 0.0809<br>हैक्टेयर | बा-1  |
| 3        | सुरतीदेवी पत्नि लधूराम 1/15 हि रामखसरा पुत्र लधूराम 1/15 हि बंशीलाल पुत्र लधूराम 1/15 हि सूरजाराम पुत्र लधूराम 1/15 हि छोटूराम पुत्र लधूराम 1/15 हि गोपूराम पुत्र हणुताराम 1/4 हि जाति विड़नोई सा. पीलवा लक्ष्णाराम 1/36 भंवरलाल 1/36 पुत्र सोनाराम, भगवती पत्नि सुराराम 1/36 हि जाति विड़नोई सा. फतेसागर तहसील लोहवट खरातेदार | बाप          | 1879/2692  | 0.3238<br>हैक्टेयर | बा-1  |

*Signature*  
सुदामा कलेक्टर  
बाप (जोधपुर)

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल करामद कर वाकीगण एवं प्रतिवाकी संख्या 1 ता 6 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लक्ष्य क्षेत्र में तस्वीर करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिलेख भंग करा जायेगा। किसी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल नुमांर होकर नम्बर से कम की जाकर बागिचल बनार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।



*hiraan*  
(मांगीलाल धारणा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
जगदण्ड अधिकारी  
बाप (जोधपुर)

## अंतिम आिरी बमुकदमें इकादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाना बीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एम्.)

- हरिराम पुत्र मानाराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
  - श्रीराम पुत्र मानाराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- वादी.....

बनाम

- गोपूराम पुत्र हणुताराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- छोटूराम पुत्र लधूराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- बंशीलाल पुत्र लधूराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- रामरखराम पुत्र लधूराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- सूरजाराम पुत्र लधूराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- सुरतीदेवी पत्नि लधूराम जाति विइनोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण.....

बाबा बाबत धारा 53,188,92ए आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्या :- 82/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबक मेरे

व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलकी मिनजानिब मुर्दई व मिनजानिब मुदायलडा पेडा डेकर हुकम दिया जाता है कि व आिरी बी जाती है कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 1879/2692 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादयस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाइ किया जाता है :-

| क्र. सं. | पक्षकारण का नाम   | ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | रकबा/हैक्टेयर      | किस्म |
|----------|---|--------------|------------|--------------------|-------|
| 1        | हरिराम पुत्र मानाराम जाति विइनोई सा.पीलवा खातेदार   | बाप          | 1879/2692  | 0.0809<br>हैक्टेयर | बा-1  |
| 2        | श्रीराम पुत्र मानाराम जाति विइनोई निवासी पीलवा खातेदार  | बाप          | 1879/2692  | 0.0809<br>हैक्टेयर | बा-1  |
| 3        | सुरतीदेवी पत्नि लधूराम 1/15 हि. रामरखराम पुत्र लधूराम 1/15 हि. बंशीलाल पुत्र लधूराम 1/15 हि. सूरजाराम पुत्र लधूराम 1/15 हि. छोटूराम पुत्र लधूराम 1/15 हि. गोपूराम पुत्र हणुताराम 1/4 हि. जाति विइनोई सा. पीलवा लक्ष्मणराम 1/36 भंवरलाल 1/36 पुत्र सोनाराम, भगवती पत्नि सुराराम 1/36 हि. जाति विइनोई सा. फतेभागर तहसील लोहवट खातेदार | बाप          | 1879/2692  | 0.3238<br>हैक्टेयर | बा-1  |

*Signature*  
सहायक कलक्टर  
बाप (जोधपुर)

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल बरामद कर बाकीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लक्ष ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

तारीख

वसूल याबी तक

बाबत

फीस सदी सालाना आज की

को अदा करे।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अबालत के आज तारीख 29.05.2023 जारी की गई।



*hijpu*  
(मांगीलाल (क.स.))  
सहायक कलेक्टर  
बाप (जोधपुर)

| मुद्दे                     | रुपया | पैसे | मुदायला              | रुपया | पैसे |
|----------------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प |       |      | स्टाम्प वकालत नामा   |       |      |
| स्टाम्प वकालत नामा         |       |      | स्टाम्प अर्जी        |       |      |
| स्टाम्प वजह सबूत           |       |      | मेहनताना वकील        |       |      |
| मेहनताना वकील              |       |      | खर्चा वाहन           |       |      |
| खर्चा गावाहन               |       |      | फीस कमीशनर           |       |      |
| फीस कमीशनर                 |       |      | बाबत इजराय हुक्मनामा |       |      |
| बाबत इजराय हुक्मनामा       |       |      | मुत्फरिक             |       |      |
| मिजान                      |       |      | मिजान                |       |      |

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे खिारी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।